



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-टी.एन.-अ.-05082022-237968  
CG-TN-E-05082022-237968

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 397]  
No. 397]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 5, 2022/श्रावण 14, 1944  
NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 5, 2022/SHRAVANA 14, 1944

ऑरोविले फाउंडेशन

स्थायी आदेश

तमिलनाडु, 28 जुलाई, 2022

(स्थायी आदेश संख्या 10/एएफ/1/2015 दिनांक 15-04-2015को प्रतिस्थापित करना)

विषय : इकाइयों और गतिविधियों का निर्माण और समापन

सं. 13/2022.—जबकि स्थायी आदेश संख्या 10/एएफ/1/2015 दिनांक 15-04-2015 द्वारा ऑरोविले फाउंडेशन की इकाइयों और गतिविधियों की स्थापना के लिए एक प्रक्रिया स्थापित की गई थी जो पहले की प्रक्रिया को बदल रही थी।

शासीबोर्ड की संगठन और शासन समिति ने इकाइयों और गतिविधियों की स्थापना और उन्हें बंद करने और इकाइयों और गतिविधियों के प्रबंधन अधिकारियों की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया में संशोधन करने की सिफारिश की है।

उपर्युक्त के लिए मसौदा प्रक्रिया को शासी बोर्ड के समक्ष रखा गया था और शासी बोर्ड ने 18 जनवरी 2022 को आयोजित अपनी बैठक में संगठन और शासन समिति की उपरोक्त मसौदा प्रक्रिया और सिफारिशों को स्वीकार कर लिया था।

अब इसलिए, इकाइयों और गतिविधियों की स्थापना और बंद करने और इकाइयों और गतिविधियों के प्रबंधन अधिकारियों की नियुक्ति के लिए प्रक्रियाएं नीचे दी गई हैं।

1 ऑरोविले फाउंडेशन के तहत इकाइयों और गतिविधियों को सीधे बनाया जाएगा और सचिव ऑरोविले फाउंडेशन द्वारा जारी एक कार्यालय आदेश के माध्यम से बंद कर दिया जाएगा।

- 2 ऑरोविले फाउंडेशन के ट्रस्टों के तहत इकाइयों और गतिविधियों को बनाया जाएगा और इसके माध्यम से बंद कर दिया जाएगा:
- क) ट्रस्ट के न्यासी बोर्ड द्वारा समर्थन का एक संकल्प जिसके तहत इकाई बनाई गई है
  - ख) शासी बोर्ड द्वारा नियुक्त एफ ए एम सी द्वारा अनुमोदन का एक संकल्प
  - ग) सचिव का कार्यालय ऑरोविले फाउंडेशन निर्माण कार्यकारी प्रबंधन में परिवर्तन या इकाइयों और गतिविधियों को बंद करने के लिए कार्यालय आदेश जारी करता है।
- 3 शासी बोर्ड समय-समय पर इस स्थायी आदेश के किसी भी या सभी उपबंधों में संशोधन कर सकेगा।  
इसके द्वारा जारी स्थायी आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

जयंती एस रवि, सचिव

[विज्ञापन III/4/असा./219/2022-23]

## AUROVILLE FOUNDATION

### STANDING ORDER

Tamil Nadu, the 28th July, 2022

(Replacing Standing Order No 10 AF/1/2015 dated 15-04-2015)

#### Subject: Creation and closure of units and activities

**No. 13/2022.**—Whereas by Standing Order No. 10/AF/1/2015 dated 15-04-2015 a procedure for the establishment of units and activities of Auroville Foundation was established, replacing an earlier procedure.

Whereas the Organisation and Governance Committee of the Governing Board has recommended to revise the procedure for the establishment and closure of units and activities and the appointment of management executives of units and activities.

Whereas the draft procedure for the aforesaid was placed before the Governing Board and the Governing Board accepted the aforesaid draft procedure and recommendations of the Organisation and Governance Committee in its meeting held on 18<sup>th</sup> January 2022.

Now therefore, the procedures for the establishment and closure of units and activities and for the appointment of management executives of units and activities shall be as outlined below.

- Units and activities directly under the Auroville Foundation will be created and closed through an office order issued by the Secretary, Auroville Foundation.
- Units and activities under the trusts of the Auroville Foundation will be created and closed through:
  - A resolution of endorsement by the Board of Trustees of the Trust under which the Unit is created,
  - A resolution of endorsement by the FAMC appointed by the Governing Board,
  - Office of the Secretary, Auroville Foundation issuing the Office Order for the creation, change in executive management or closure of units and activities.
- The Governing Board may amend, from time to time, any or all of the provisions of this Standing Order.

The Standing Order issued hereby shall come into force with immediate effect.

JAYANTI S. RAVI, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./219/2022-23]